



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



4 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 100 राँची, शुक्रवार,

23 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

1 नवम्बर, 2023

संख्या-3/नि०सं०-03-05/2023 का. 6128--माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP(S) No. 5119/2022 प्रणव कुमार पाल एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 20.09.2023 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए श्री प्रणव कुमार पाल झा०प्र०से० एवं अन्य 06 पदाधिकारियों के द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तिथि दिनांक 25.09.2020 के प्रभाव से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

2 WP(S) No. 5119/2022 प्रणव कुमार पाल एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2023 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"12. In view of the above therefore, that part of the order of promotion published vide notification dated 28.09.2021 issued under the signature of respondent no.3 by which the petitioners have been promoted from the post of Sub-Divisional Officer to the post of Additional Collector with effect from the date of notification i.e. 28.09.2021 is hereby quashed with a direction to the concerned respondents to consider the promotion of the petitioners to the post of Additional Collector from the date of recommendation made by the Departmental Promotion Committee i.e. 25.09.2020. The consideration indicated above should be done and dusted with within a period of 8 weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

13. This writ application stands disposed of.

3. विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 द्वारा राज्य सरकार के सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी ।

4. WP(S) No.1390/2021 अशोक कुमार सिंह एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2022 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"34. As a sequitur of the aforesaid rules, guidelines and judicial pronouncements. I find impugned order issued vide Memo No. 6752, dated 24.12.2020, by the Principal Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha, Government of Jharkhand, is not tenable in the eyes of law and the same is hereby quashed and set aside. As a result of quashment of the blanket order of stay, I, hereby, direct the concerned head of the departments to grant promotion to the petitioners whose cases were considered for promotion by the Departmental Promotion Committee, within a period of four weeks from today. State is further directed to come out with Notification regarding promotion to all such petitioners who have knocked door of this Court with all consequential benefits irrespective of the fact that they have retired. Their cases will be considered from retrospective effect i.e. the date on which they have been found fit for promotion. Since blanket order of stay has been quashed it is further directed to all head of the departments to consider case of employees for promotion who are otherwise found fit for promotion and if there is no any other legal impediment."

5. उपर्युक्त न्यायादेश के माध्यम से विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा प्रोन्नति पर रोक को रद्द करते हुए सभी प्रोन्नति हेतु अर्हताधारी कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से सभी वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है ।

6. विभागीय पत्रांक-3463 दिनांक-03.06.2022 द्वारा प्रोन्नति पर जारी स्थगन सम्बन्धी आदेश संख्या-6752 दिनांक-24.12.2020 को आहरित करते हुए विभागीय पत्रांक-3479 दिनांक-03.06.2022 द्वारा प्रोन्नति की कार्यवाही का आदेश दिया गया है।

7. उल्लेखनीय है कि सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारियों की अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति की अनुशंसा की गई।

8. उक्त सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही की कंडिका-9 की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के कुल 53 पदाधिकारियों को अधिसूचना ज्ञापांक 6137 दिनांक 28.09.2021 के द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

9. WP(S) No.5119/2022 प्रणव कुमार पाल एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2023 को पारित आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 28.09.2021 को निरस्त किया गया है एवं आदेश दिया गया है कि विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तिथि 25.09.2020 को पदाधिकारियों की "प्रोन्नति के योग्य" की अनुशंसा की तिथि 28.09.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाए।

10. अतएव WP(S) No. 5119/2022 प्रणव कुमार पाल एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2023 को पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100/- ग्रेड पे 6600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-11) के कुल 53 पदाधिकारियों को दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 15,600-30,100/- ग्रेड पे 7600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) में अधिसूचना ज्ञापांक 6137 दिनांक 28.09.2021 द्वारा प्रदत्त प्रोन्नति के स्थान पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा की तिथि दिनांक 25.09.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

11. उक्त प्रोन्नति का वित्तीय लाभ अधिसूचना ज्ञापांक 6137 दिनांक 28.09.2021 के आलोक में अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के पद पर लिए गए प्रभार की तिथि से देय होगा।

12. यह प्रोन्नति याचिका संख्या W.P.(S) No. 3795/2003 डॉ० प्रवीण शंकर एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, W.P. (S) No. 3792/2016 अमरेन्द्र सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

13. अधिसूचना जापांक 6137 दिनांक 20.09.2021 के क्रम संख्या 19 से 53 तक के पदाधिकारियों की प्रोन्नति W.P. (S) No. 4357/2020 समीर कच्छप एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

14. उक्त पदाधिकारियों की प्रोन्नति माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S) No. 3792/2016 अमरेन्द्र कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के आलोक में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 2955 दिनांक 05.07.2021 द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।
